



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062026-273905
CG-DL-E-29062026-273905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3302]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3302]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3436(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के अनन्तनागा जिले में NH-244 के कि.मी. 148.589 से कि.मी. 176.532 (डीसी कार्यालय अनन्तनाग) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त अनन्तनाग को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के अनन्तनागा जिले में NH-244 के कि.मी. 148.589 से कि.मी. 176.532 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: अनन्तनागा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अन्नतनाग					
गांव का नाम: ब्राकपोरा					
1	436	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.003743 (हेक्टेयर)	0.003743
2	437	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.00812 (हेक्टेयर)	0.00812
3	503 min	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.02903 (हेक्टेयर)	0.02903
गांव का नाम: कड़पुरा					
4	302 min	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (बंजरी क्रादीम/इरिगेशन चैनल)	0.0084 (हेक्टेयर)	0.0084
गांव का नाम: कुल-गार्ड					
5	122 min	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (गैर मुमकिन सडक/इरिगेशन चैनल)	0.0053 (हेक्टेयर)	0.0053
6	157 min	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.0054 (हेक्टेयर)	0.0054
तालुक का नाम: कोकेरनाग					
गांव का नाम: सगम					
7	162 min	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
8	162 min	सरकारी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
गांव का नाम: अर्किंगम					
9	2226/910	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.0038 (हेक्टेयर)	0.0038
10	2227/910	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.0059 (हेक्टेयर)	0.0059

11	906/1	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.0034 (हेक्टेयर)	0.0034
12	908	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर यूएन-इरिगेटेड)	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
13	909	सामान्य	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.0081 (हेक्टेयर)	0.0081
14	911 min	सामान्य	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर यूएन-इरिगेटेड)	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
15	912 min	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर यूएन-इरिगेटेड)	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
गांव का नाम: दंवत पूरा					
16	127 min	निजी	एग्रीकल्चर (हॉर्टिकल्चर इरिगेटेड)	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
17	128 min	सामान्य	नाॉन एग्रीकल्चर (बंजरी क्रादीम/कौल)	0.0225 (हेक्टेयर)	0.0225
18	129 min	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
19	149 min	सरकारी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.0298 (हेक्टेयर)	0.0298
20	152 min	निजी	एग्रीकल्चर (एग्रीकल्चर इरिगेटेड)	0.0157 (हेक्टेयर)	0.0157
गांव का नाम: बिन्दु जलंगाम					
21	460 min	निजी	एग्रीकल्चर (हॉर्टिकल्चर इरिगेटेड)	0.0062 (हेक्टेयर)	0.0062
22	461 min	निजी	एग्रीकल्चर (हॉर्टिकल्चर इरिगेटेड)	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
23	772min	निजी	एग्रीकल्चर (हॉर्टिकल्चर इरिगेटेड)	0.0052 (हेक्टेयर)	0.0052
Total					0.196393

[फा. सं. NHIDCL/DPR/VD/PKg-VI/Intermittentstrectches/LA/2025-26/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3436(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-244 in the stretch of land from Km. 148.589 to Km. 176.532 (DC Office Anantnag) in the district of ANANTNAG in the state of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner ANANTNAG in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-244 in the stretch of land from Km. 148.589 to Km. 176.532 (DC Office Anantnag) in the district of ANANTNAG in the state of JAMMU & KASHMIR

State: JAMMU & KASHMIR			District: ANANTNAG		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Anantnag					
Village: Brakpora					
1	436	Private	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.003743 (Hectare)	0.003743
2	437	Private	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.00812 (Hectare)	0.00812
3	503 min	Private	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.02903 (Hectare)	0.02903
Village: Kadpora					
4	302 min	Government	Non Agriculture (Banjri Qadeem/Irrigation Channel)	0.0084 (Hectare)	0.0084
Village: Kull - gard					
5	122 min	Government	Non Agriculture (Gair Mumkin Sadak/Irrigation Channel)	0.0053 (Hectare)	0.0053
6	157 min	Private	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.0054 (Hectare)	0.0054
Taluk: Kokernag					
Village: Sagam					
7	162 min	Private	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.0027 (Hectare)	0.0027
8	162 min	Government	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.0042 (Hectare)	0.0042
Village: Akingam					
9	2226/910	Private	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.0038 (Hectare)	0.0038
10	2227/910	Private	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.0059 (Hectare)	0.0059
11	906/1	Private	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.0034 (Hectare)	0.0034

12	908	Private	Agriculture (Agriculture un-Irrigated)	0.0042 (Hectare)	0.0042
13	909	Common	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.0081 (Hectare)	0.0081
14	911 min	Common	Agriculture (Agriculture un-Irrigated)	0.0011 (Hectare)	0.0011
15	912 min	Private	Agriculture (Agriculture un-Irrigated)	0.014 (Hectare)	0.014
Village: Danwath Pora					
16	127 min	Private	Agriculture (Horticulture irrigated)	0.0042 (Hectare)	0.0042
17	128 min	Common	Non Agriculture (Banjri Qadeem/koul)	0.0225 (Hectare)	0.0225
18	129 min	Private	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.0042 (Hectare)	0.0042
19	149 min	Government	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.0298 (Hectare)	0.0298
20	152 min	Private	Agriculture (Agriculture Irrigated)	0.0157 (Hectare)	0.0157
Village: Bindoo Zalangam					
21	460 min	Private	Agriculture (Horticulture irrigated)	0.0062 (Hectare)	0.0062
22	461 min	Private	Agriculture (Horticulture irrigated)	0.0012 (Hectare)	0.0012
23	772min	Private	Agriculture (Horticulture irrigated)	0.0052 (Hectare)	0.0052
Total					0.196393

[F. No. NHIDCL/DPR/VD/PK-g-VI/Intermittentstretches/LA/2025-26/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director